प्रेषक

राधेश्याम,
अनु सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कृषि अनुभाग-3 **लखनऊ:: दिनांक: 14 फरवरी, 2017**

विषय:- नेशनल मिशन फॉर सस्टेनबल एग्रीकल्चर योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-शो0एवंमृ0सर्वे/715/एन.एम.एस.ए./एस.एच.सी.-11/2016-17, दिनांक 16.09.2016, पत्रांक-शो.एवंमृ.सर्वे./716/लेखा/एन.एम.एस.ए./एस.एच.सी.-11/2016-17, दिनांक 19.9.2016 तथा पत्रांक- पत्रांक-शो.एवंमृ.सर्वे./736/एन.एम.एस.ए./एस.एच.सी.-83/2016-17, दिनांक 21.9.2016 एवं पत्रांक- पत्रांक-शो.एवंमृ.सर्वे./872/लेखा/एन.एम.एस.ए./एस.एच.एम-11/वि0स्वी0/2016-17, दिनांक 18.10.2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष-2016-17 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-11/83 में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष नेशनल मिशन फार सस्टेनबल एग्रीकल्चर के अन्तर्गत संचालित मृदा स्वास्थ्य कार्ड, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन के अन्तर्गत निम्न विवरण के अनुसार रू0-236839.75 हजार (रू0 तेईस करोड़ अड़सठ लाख उन्तालीस हजार सात सौ पचास मात्र) की धनराशि व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

धनराशि हजार रू0 में

अनुदान संख्या/लेखाशीर्षक	मानक मद	मृदा स्वास्थ्य कार्ड कार्यक्रम हेतु स्वीकृत	मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन कार्यक्रम हेतु स्वीकृत	कुल स्वीकृत धनराशि
अनुदान संख्या-11-2402-मृदा तथा जल संरक्षण- 102-मृदा संरक्षण- 01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें/0102-नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर	02-मजदूरी	--	--	--
	04-यात्रा व्यय	--	--	--
	08-कार्यालय व्यय	--	--	--
	09-विद्युत देय	--	--	--
	11-लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई	--	--	--
	15-गाड़ियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल आदि की खरीद	--	--	--
	16-व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	17231	--	17231
	27-सब्सिडी	5934	--	5934
	29-अनुरक्षण	--	--	--
	42-अन्य व्यय	58489	--	58489
	43-सामग्री एवं सम्पूर्ति	87185	--	87185
	44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	5392	--	5392
	46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	--	--	--
	योग	**174231**	--	**174231**
अनुदान संख्या-11-4402-मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय-102-मृदा संरक्षण-01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें/0101-नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर	26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र	10350	30280	40630
अनुदान संख्या-83-2402-मृदा तथा जल संरक्षण आयोजनागत-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें/0101-नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर	27-सब्सिडी	**4320**	--	--
	42-अन्य व्यय	**16524**	--	--
	44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	**1134.75**	--	--
	योग	**21978.75**	--	**21978.75**
	महायोग	**206559.75**	**30280**	**236839.75**

(रू0 तेईस करोड़ अड़सठ लाख उन्तालीस हजार सात सौ पचास मात्र)

2- स्वीकृत धनराशि का आहरण दो समान किश्तों में किया जाएगा। प्रथम किश्त की धनराशि 75 प्रतिशत व्यय करने के उपरांत दूसरी किश्त का आहरण किया जाएगा। स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित/व्यय करने के पूर्व अपने स्तर से यह सुनिश्चित करेंगे कि भारत सरकार की गाइड लाइन्स के अनुसार प्रश्नगत योजना की कार्ययोजना पर सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त है तथा इसकी धनराशि आहरित/व्यय करने हेतु अधिकृत है।

3- प्रश्नगत योजना की भारत सरकार की गाइड लाइन्स में दिये गये निर्देशों/शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4- वित्त आय-व्ययक अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी-1-2457/दस-2014-231/14, दिनांक 22.7.2014 में निहित शर्तो तथा वित्त आय-व्ययक अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-बी-2- 2528/दस-2014-10-77, दिनांक 26.8.2014 के प्रस्तर-5 एवं 9 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन स्वीकृत की जा रही धनराशि के व्यय करने से पूर्व कड़ाई से सुनिश्चित कराया जायेगा।

5- स्वीकृत की जा रही उक्त धनराशि का उपयोग नेशनल मिशन फार सस्टेनबल एग्रीकल्चर योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा निर्गत गाइड लाइन तथा भारत सरकार द्वारा मृदा स्वास्थ्य कार्ड, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन, सचल भूमि परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना तथा एटॉमिक एब्जाप्सन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर आदि की अनुमोदित

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

कार्ययोजना के अनुसार किया जायेगा तथा धनराशि का व्यय केवल उन्ही मदों पर किया जायेगा जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की गयी है तथा आय-व्ययक में प्राविधानित है। किसी अन्य भिन्न मद में न ही इसका व्यय किया जायेगा और न ही एक मद से दूसरे मद में इसका डायवर्जन किया जायेगा। यदि किसी मद में व्यय करने की अनुमति भारत सरकार द्वारा कार्य योजना में प्राप्त न हो तो उसकी सूचना शासन में उपलब्ध करायी जाय।

6- योजनान्तर्गत व्यय की जाने वाली उक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप पर त्रैमासिक आधार पर भौतिक/वित्तीय प्रगति सहित शासन/भारत सरकार को उपलब्ध करायी जायेगी। कृषि निदेशक द्वारा द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि उक्त कार्य की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में पुनरावृत्ति/द्विरावृत्ति न हो।

7- स्वीकृत धनराशि संभावित व्यय की फेजिंग, कार्य की प्रकृति एवं अवसर के अनुसार की जाय, जहां तक संभव हो, व्यय की फेजिंग वित्तीय वर्ष की शेष अवधि के लिए प्रतिमाह समान रूप से की जाय। आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाय। यदि विभाग के आहरण एवं वितरण अधिकारी जनपद स्तर पर हैं, तो जनपद स्तर पर व्यय की जाने वाली धनराशियों को संबंधित जनपदों के आहरण एवं वितरण अधिकारी को आवंटित की जाय। ऐसे मामलों में विभागाध्यक्ष स्तर पर एकमुश्त धनराशि का आहरण न किया जाय, क्योंकि धनराशि के एकमुश्त आहरण से राज्य के रोकड़ प्रबंधन (कैश मैनेजमेंट) पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तथा अनावश्यक रूप से बैंकों में खाता खोलकर धनराशि जमा करने की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है। शासन की पूर्वानुमति के बगैर कोई भी धनराशि बैंक खाते में नहीं रखी जाएगी। यदि इस प्रकार का कोई प्रकरण शासन के संज्ञान में आता है तो इसे गम्भीर वित्तीय अनियमितता मानते हुए नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

8- स्वीकृत की गयी उक्त धनराशि के व्यय पर नियंत्रण के संबंध में शासनादेश संख्या-बी-1-1195/ दस-16/94, दिनांक 06.06.1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। व्यय प्रबंधन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तो की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टेण्डड्स ऑफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

9- वित्त लेखा अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-ए-1-285/दस-2012-10(29)/2011टी.सी.-II, दिनांक 29 मई, 2012 द्वारा समस्त भुगतान NEFT/RTGS के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिकली । लाभार्थी के खाते में सीधे क्रेडिट किये जाने के निर्देश दिये गये हैं अत: उक्त स्वीकृत धनराशि का भुगतान तद्नुसार सुनिश्चित किया जाय। भारत सरकार के पत्र संख्या-1-11011/58/2013-डी0बी0टी0 दिनांक 25.2.2015 द्वारा डायरेक्ट बेनीफिट ट्रांसफर (डी.बी.टी.) के अन्तर्गत नकद धनराशि व्यक्तिगत लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफर किये जाने का निर्देश दिया गया है। अत: स्वीकृत धनराशि का तद्नुसार भुगतान सुनिश्चित किया जाय।

10- कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा जनता के बीच योजनाओं का प्रचार एवं प्रसार सुनिश्चित करेंगे। उक्त योजना का पूरा विवरण वेवसाइट पर उपलब्ध कराया जायेगा। योजना का Impact assessment कराया जायेगा और उसका समुचित फीडबैक दिया जायेगा। योजना के कार्य पूर्ण हो जाने पर योजना की कार्यो की पूर्णता का पूरा विवरण उपलब्ध कराया जाय। लाभार्थियों की सूची विभागीय वेबसाइट पर अपलोड की जाय तथा । लाभार्थियों की सूची एवं उन्हें दिये गये लाभ का रेण्डम आधार पर भौतिक सत्यापन सुनिश्चित कराया जाय। लाभार्थियों की सूची विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु मुख्यालय/जनपद स्तर के संबंधित परियोजना अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

11- स्वीकृत धनराशि को सुसंगत वित्तीय नियमों के अनुसार व्यय करने का उत्तरदायित्व कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश लखनऊ का होगा।

12- उक्त धनराशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2016-17 में उपर्युक्त तालिका में उल्लिखित अनुदान संख्या/लेखाशीर्षक/सुसंगत मानक मदों के नामें डाला जायेगा।

13- उपरोक्त शर्तो का उल्लंघन किये जाने पर इसके लिए स्वंय उत्तरदायी होंगे।

14- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22.3.2016 द्वारा प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(राधेश्याम)
अनु सचिव।

सं0-6/2017/40(1)/12-3-2017-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार,(लेखा व हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद ।
2- महालेखाकार,(लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3- सचिव, भारत सरकार कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली।
4- संयुक्त सचिव, भारत सरकार कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली।
5- अवर सचिव, भारत सरकार कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली।
6- समस्त मण्डलायुक्त को इस आशय से प्रेषित कि उक्त की प्रतियां अपने अधीनस्थ समस्त जिलाधिकारियों को इस निर्देश के साथ कि वे अपने जनपद के समस्त जनप्रतिनिधियों (मा. मंत्रीगण, मा. सांसद, मा. विधायक आदि) को शासनादेश की प्रतियां उपलब्ध कराने का कष्ट करें ताकि जनप्रतिनिधियों द्वारा योजना का लाभ पात्रों को दिलाये जाने में सहयोग किया जा सके।
7- अपर कृषि निदेशक (भू.सं.), उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
8- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
9- वित्त नियंत्रक, कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
10- संयुक्त कृषि निदेशक, (शोध एवं मृदा सर्वेक्षण), कृषि भवन, लखनऊ।
10- सहायक निदेशक (कम्प्यूटर एवं समन्वय) कृषि भवन, लखनऊ।
11- वित्त (व्यय नियंत्रण), अनुभाग-1/कृषि अनुभाग-5/नियोजन अनुभाग-3
12- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(राधेश्याम)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in